जन–सुनवाई कार्यवाही विवरण

मैसर्स श्रीमती ज्योति घीया पत्नी श्री भीकम चन्द की बीकानेर जिले में निकट ग्राम सरह भियानी मानी, तहसील–कोलायत, जिला– बीकानेर (राजस्थान) की क्लस्टर खनन क्षेत्र 13.2633 हैक्टेयर में प्रस्तावित बॉल क्ले, सिलिका सेड, बजरी एवं ग्रेवल खनन परियोजना (खनन रेफरेन्स नम्बर 201910003264 क्षेत्रफल 3.687 हैक्टेयर) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 05.03.2021 को प्रातः 11.00 बजे जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन, नाईयों की बस्ती, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।

मैसर्स श्रीमती ज्योति घीया की प्रस्तावित खनन परियोजना बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी और ग्रेवल की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14 सितम्बर 2006 व इसकी संशोधित अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अनुसार दिनांक 05.03.2021 को प्रातः 11.00 बजे से जनसुनवाई स्थल ग्राम पंचायत भवन, नाईयों की बस्ती, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राजस्थान) में आयोजित की गई।

खनन परियोजना का विवरण निम्नानुसारं हैः–

मैसर्स श्रीमती ज्योति घीया, खनन रेफरेन्स नम्बर 201910003264, क्षेत्रफल 3.6874 हैक्टेयर, उत्पादन क्षमता 2,61,000 टी.पी.ए., निकट ग्राम सरह भियानी मानी, तहसील–कोलायत, जिला–बीकानेर (राज.)।

उपरोक्त जनसुनवाई की विज्ञप्ति दैनिक भास्कर में (संलग्नक–'अ') दिनांक 03.02.2021 एवं दैनिक युगपक्ष में (संलग्नक–'ब') दिनांक 03.02.2021 में प्रकाशित करवाई गई थी तथा जनसामान्य से लिखित आक्षेप/सुझाव सूचना के प्रकाशन की तिथि से जनसुनवाई तक आमंत्रित किए गए।

यह जनसुनवाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, क्षेत्रीय कार्यालय, बीकानेर द्वारा एवं श्री अरूण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर (प्रतिनिधि जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर) की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

जनसुनवाई में नामित अधिकारीगण व क्षेत्र के ग्रामवासी व अन्य का उपस्थिति पत्र मय हस्ताक्षर संलग्न है (संलग्नक–'स')। जनसुनवाई की वीडियो रिकार्डिंग एवं फोटोग्राफी कराई गई।

जनसुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर के क्षेत्रीय अधिकारी श्री प्रेमालाल रैगर ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया तथा जनसुनवाई के उद्देश्य के बारे में जानकारी देने हेतु मैसर्स श्रीमती ज्योति घीया के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्टस" के प्रतिनिधि को परियोजना की विस्तृत जानकारी एवं परियोजना के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले पर्यावरणीय प्रभाव तथा शमन उपायों के संबंध के बारे में आमजन को प्रोजेक्टर के माध्यम से देने हेतु कहा गया।

प्रेमालाल
क्षेत्रीय अधिकारी

इसके पश्चात परियोजना के पर्यावरणीय तकनीकी सलाहकार "मैसर्स ओवरसीज मिनटेक कन्सलटेन्टस" के प्रतिनिधि श्री डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बॉल क्ले, सिलिका सैंड, बजरी एवं ग्रेवल खनन परियोजना (रेफरेन्स न.–201910003264) का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया, जिसके अन्तर्गत बताया कि यह खनन इकाई एक कलस्टर जिसका कुल खनन क्षेत्र 13.2633 हेक्टेयर है, का भाग है तथा इस खनन पट्टे का कुल क्षेत्रफल 3.6874 हेक्टेयर है तथा यह खान बॉल क्ले, सिलिका सेंड, बजरी एवं ग्रेवल का उत्पादन 2,61,000 टन प्रतिवर्ष के लिए है। प्रस्तावित परियोजना का आधारभुत अध्ययन (Baseline Study) (20 दिसम्बर 2019 से 20 मार्च 2020) में किया गया। तत्पश्चात पर्यावरणीय सलाहकार ने खान की अवधि, खान का परिचय, खनन योजना, खनिज भण्डार, खनन प्रक्रिया, जलवायु, जल बहाव, ढांचा और खनन गतिविधियों के द्वारा जैव विविधता, मिट्टी, पर्यावरणीय, वायु और ध्वनि पर्यावरण पर प्रभाव एवं उनके शमीकरण के उपायों के बारे में बताया तथा साथ ही पर्यावरणीय मापदंडों की निगरानी कार्यक्रम एवं प्रस्तावित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर)के बारे में बताया।

अतिरिक्त जिला मजिस्टेट्र,(नगर), बीकानेर ने ग्रामवासियों से इस खनन क्षेत्र के बारे में आक्षेप एवं सुझाव मागें।

जन सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुह द्वारा दिये आक्षेप/सुझाव/प्रश्न एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में प्रस्ताव निम्नानुसार हैं:–

क्र.स.	आक्षेप/सुझाव/प्रश्न पूछने वाले का नाम व पता	आक्षेप/सुझाव/प्रश्न	निराकरण सम्बन्धी प्रस्ताव
1.	श्री मोहन लाल जी गांव–नाइयों की बस्ती	माईन्स से उड़ने वाली धूल से बचने के लिए आप क्या उपाय करेगें।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि खनन क्षेत्र में व सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जायेगा।
		प्रति अर्द्व वर्ष में वायु गुणवत्ता जॉच सुनिश्चित की जाये।	प्रति अर्द्व वर्ष में वायु गुणवत्ता जॉच करवायी जावेगी।
		स्वास्थ्य जॉच कैंप सुनिश्चित करें एवं उचित प्रचार हो।	ग्रामवासियों के लिये स्वास्थ्य जॉच कैंप आयोजित किये जायेगें।
		गोचर भूमि में वृक्षारोपण करवाया जाए।	खनन व खनन क्षेत्र के आसपास वन विभाग की सलाह के अनुसार जलवायु के अनुरुप पेड लगाए जायेगें।

अमीलाल
क्षेत्रीय अधिकारी

2.	श्री टीकू राम जी गांव–नाइयों की बस्ती	परियोजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता से रोजगार दिया जाना चाहिए। खनन परिसर में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किया जाना चाहिए।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाकार के प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जायेगाा। खनन व खनन क्षेत्र के आसपास वन विभाग की सलाह के अनुसार जलवायु के अनुरुप पेड लगाए जायेगें।
3.	श्री ओम प्रकाश जी गांव–नाइयों की बस्ती	क्या परियोजना में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता पर मिलेगा।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाकार के प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि परियोजना में स्थानीय लोगों को योग्यता के अनुसार प्राथमिकता के साथ रोजगार दिया जायेगाा।
4.	श्री रतन लाल जी गांव–नाइयों की बस्ती	सड़को के रख रखाव के लिए क्या उपाय करेगें।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार के प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि परियोजना में सड़को के रख रखाव के लिए CSR प्रस्तावित किया गया है।
5.	श्री किशन लाल जी ग्राम–वांर्ड पंच गांव–नाइयों की बस्ती	क्या पौधारोपण केवल खनन क्षेत्र में ही किया जायेगा।	परियोजना के पर्यावरणीय सलाकार के प्रतिनिधि डॉ. मोहम्मद आरिफ ने बताया कि पौधा रोपण खनन क्षेत्र के साथ–साथ आसपास के क्षेत्र में भी वन विभाग की सलाह के अनुसार जलवायु के अनुरुप वृक्षारोपण किया जायेगा साथ ही गांव में भी पौधे वितरित किये जायेगें

श्री अरूण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर ने सुझाव दिया कि सामाजिक सरोकार हेतु नियत राशि का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

खनन परियोजना प्रस्ताविका श्रीमती ज्योति घीया ने जनसुनवाई में उपस्थित समस्त पदाधिकारीयों एवं ग्रामवासियों का धन्यवाद प्रेषित किया तथा साथ ही आश्वासन दिया कि खान प्रबन्धन की तरफ से उपरोक्त जनहित कार्य करने हेतु हर संभव प्रयास किया जाएगा।

जनसुनवाई के दौरान कोई भी लिखित ज्ञापन/आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ।

अतः में श्री अरूण प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर), बीकानेर एवं श्री प्रेमालाल रैगर, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, बीकानेर ने उपस्थित जन समुदाय का जन सुनवाई में आने के लिए आभार प्रकट किया एवं जनसुनवाई के समापन की घोषणा की।

(प्रेमा लाल रैगर)
क्षेत्रीय अधिकारी
रा.रा.प्र.नि.म., बीकानेर
क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
बीकानेर (राजस्थान)

(अरूण प्रकाश शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर)
प्रतिनिधि, जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(नगर), बीकानेर